आर. लक्ष्मणन, आईएएस
कार्यपालक निदेशक

सत्यमेव जयते

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी/आरडीएसएस/25 दिनांक:09.08.2021

विषय- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति के लिए उप-मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी)

महोदय/महोदया,

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के संचालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही प्रसारित किए जा चुके हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना के तहत कार्यों को पूरा करने में डिस्कॉम को सक्षम करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति को एसबीडी नोडल एजेंसी द्वारा जारी किया जाना है।

तदनुसार, इस योजना के तहत कार्यों को पूरा करने में डिस्कॉम को सक्षम करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति के लिए एसबीडी तैयार और संलग्न है। आपकी आसानी से समझने के लिए एसबीडी पर मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करने वाला एक मार्गदर्शन नोट भी संलग्न है।
सादर,

भवदीय,

(आर. लक्ष्मणन)

सेवा में,
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी डिस्कॉम

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा), सभी राज्य।
2. सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक (पीएमडी), कार्यपालक निदेशक (पीएमडी-I) और (II)
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी और कार्यपालक निदेशक (आईपीडीएस), पीएफसी
5. वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, आरईसी, क्षेत्रीय कार्यालय

डिस्कॉम का नाम

स ला ह का रों का च य न

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

“संशोधित सुधार-संबद्ध परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना के तहत डिस्कॉम का नाम को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग के लिए परामर्श सेवाएं”

के प्रस्ताव हेतु अनुरोध

(समय आधारित अनुबंध)

(सभी हाईलाइट किए गए हिस्से और/या .... (रिक्त स्थान) डिस्कॉम द्वारा भरे जाएंगे)

ओपन ई-टेंडर नंबर

जीईएम गैर उपलब्धता रिपोर्ट (जीएआर) सं.:

(ई-खरीद के साथ एकल चरण की टू-एन्वेलप बोली प्रक्रिया)

"संशोधित सुधार-संबद्ध परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना के तहत डिस्कॉम का नाम को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग के लिए परामर्श सेवाएं"

के प्रस्ताव हेतु अनुरोध

गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)

प्रमुख तिथियां

आरएफपी/एनआईटी जारी करने की तिथि	
बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	
तकनीकी प्रस्ताव/बोली शुरू करने की तिथि एवं समय	
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	
बोली दस्तावेज की लागत	शून्य

पंजीकृत कार्यालय:

सारांश

भाग I - चयन प्रक्रियाएँ और आवश्यकताएँ

धारा 1: प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) सूचना

इस धारा में प्रस्तावों के लिए अनुरोध शामिल है।

धारा 2: पात्रता आवश्यकताएँ

इस धारा में संभावित परामर्शदाताओं के लिए उनके प्रस्ताव के आगे के मूल्यांकन के लिए लागू विशिष्ट पात्रता आवश्यकताओं के बारे में जानकारी शामिल है।

धारा 3: परामर्शदाताओं को निर्देश और डेटा शीट

इस धारा में दो भाग हैं: "परामर्शदाताओं को निर्देश" और "डेटा शीट"। "डेटा शीट" में चयन के लिए विशिष्ट जानकारी शामिल है और यह "परामर्शदाताओं के लिए निर्देश" के खंडों से मेल खाती है जो चयन-विशिष्ट जानकारी की मांग करते हैं। यह धारा संभावित परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। चयन की विधि, योग्यता की आवश्यकता, प्रस्तुत करने, शुरू करने और प्रस्तावों के मूल्यांकन, अनुबंध पर चर्चा और अनुबंध देने के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।

धारा 4: तकनीकी प्रस्ताव - प्रपत्र

इस धारा में तकनीकी प्रस्ताव के लिए प्रपत्र शामिल हैं जिन्हें संभावित परामर्शदाताओं द्वारा पूरा किया जाना है और धारा 3 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

धारा 5: वित्तीय प्रस्ताव - प्रपत्र

इस धारा में वे वित्तीय प्रपत्र शामिल हैं जिन्हें संभावित सलाहकारों द्वारा पूरा किया जाना है, जिसमें परामर्शदाता द्वारा अपने तकनीकी प्रस्ताव की लागत भी शामिल है, जिसे धारा 3 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

धारा 6: संदर्भ की शर्तें (टीओआर)

यह धारा असाइनमेंट को लागू करने के लिए आवश्यक सेवाओं और कार्यों के दायरे और प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी का वर्णन करता है, और जहां भी लागू हो, अपेक्षित डिलिवरेबल्स को सूचीबद्ध करता है।

भाग II - अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र

धारा 7: **अनुबंध के मानक प्रपत्र**

इस धारा में मानक अनुबंध प्रपत्र शामिल हैं। इसमें अनुबंध की सामान्य शर्तें ("जीसीसी") और अनुबंध की विशेष शर्तें ("एससीसी") शामिल हैं। एससीसी में सामान्य शर्तों के पूरक के लिए इस अनुबंध के लिए विशिष्ट धाराएं शामिल हैं।

भाग III - अवॉर्ड की अधिसूचना

धारा 8: अवॉर्ड की अधिसूचना

इस धारा में सफल परामर्शदाता को अनुबंध अवॉर्ड करने की सूचना देने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रपत्र शामिल है।

विषय-सूची

अंतिम दस्तावेज़ के आधार पर कृपया सही पृष्ठ संख्या सुनिश्चित करें।

भाग I 6
धारा 1. प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुरोध 7
धारा 2. पात्रता आवश्यकताएँ 10
धारा 3 : परामर्शदाताओं को निर्देश और डेटा शीट 13
धारा 4. तकनीकी प्रस्ताव-प्रपत्र 46
धारा 5. वित्तीय प्रस्ताव-प्रपत्र 69
धारा 6. संदर्भ की शर्तें (टीओआर) 74
भाग II 77
धारा 7. अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र 77
भाग III 122
धारा 8. अवॉर्ड की अधिसूचना 123

भाग I

चयन प्रक्रियाएँ और आवश्यकताएँ

धारा – 1 : प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुरोध

"संशोधित सुधार-संबद्ध परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना के तहत डिस्कॉम का नाम को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग के लिए परामर्श सेवाएं।"

खरीद सूचना

(ई-खरीद के साथ एकल चरण की टू-एन्वेलप बोली प्रक्रिया)

राष्ट्रीय खुली प्रतिस्पर्धी खरीद

अनुबंध का शीर्षक: "संशोधित सुधार-संबद्ध परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना" के तहत डिस्कॉम का नाम को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग के लिए परामर्श सेवाएं।"

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) संख्या:

को जारी किए गए:

जीईएम जीएआर एंड पीटीएस आईडी नंबर:

1. डिस्कॉम का नाम "संशोधित सुधार-संबद्ध परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना" के तहत डिस्कॉम का नाम को "परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग के लिए परामर्श सेवाएं" प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए आरएफपी दस्तावेजों के धारा-2 में पात्रता आवश्यकताओं और धारा-3 में योग्यता आवश्यकताओं एवं मूल्यांकन मानदंड पर ध्यान दें।

2. परामर्शदाता के चयन के लिए बोली राष्ट्रीय खुली प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

3. आरएफपी दस्तावेज ....तिथि/माह/वर्ष से तिथि/माह/वर्ष तक ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध है। भावी परामर्शदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि वेबसाइट पर उपलब्ध कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/संशोधन भी डाउनलोड और शामिल किया गया है।
4. बोली धारा 3 में निर्दिष्ट **ई-खरीद के साथ एकल चरण की टू-एन्वेलप बोली प्रक्रिया** के तहत आयोजित की जाएगी।

5. एकल चरण की टू-एन्वेलप बोली प्रक्रिया के तहत परामर्शदाता, तकनीकी प्रस्ताव (पहला एन्वेलप) या किसी भी अन्य तरीके से, वित्तीय प्रस्ताव (दूसरा एन्वेलप) के हिस्से को छोड़कर, इसकी कीमत उद्धृत, खुलासा या प्रस्तुत नहीं करेगा। इस संबंध में किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में, प्रस्ताव सीधे/सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. अपूर्ण और/या अस्पष्ट और/या सशर्त प्रस्ताव और/या देर से प्रस्तुत प्रस्ताव को नजरअंदाज/सरसरी तौर

पर खारिज कर दिया जा सकता है।

7. प्रस्ताव को धारा 3 में निर्दिष्ट ई-खरीद/ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई-खरीद प्रणाली के बाहर प्राप्त किसी भी प्रस्ताव या प्रस्ताव में संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि धारा 3 में अन्यथा निर्दिष्ट न हो। डिस्कॉम ऐसा नहीं करेगा। अपने नियंत्रण से परे ई-खरीद/ई-टेंडरिंग प्रणाली की विफलता के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए डिस्कॉम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

8. इस आरएफपी की सूचना से संबंधित मुख्य विवरण जिसमें प्रस्ताव जमा करना और शुरू करना, बोली सुरक्षा, दस्तावेजों की लागत, संचार के लिए पता आदि शामिल हैं, नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

9. यदि प्रस्ताव खोलने की निर्दिष्ट तिथि पर डिस्कॉम कार्यालय बंद हो जाता है, तो प्रस्ताव/बोलियां अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थान पर या जैसा डिस्कॉम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, खोली जाएंगी।

10. अन्य विवरण आरएफपी दस्तावेज़ में देखे जा सकते हैं।

तालिका- आरएफपी की सूचना का मुख्य विवरण

आरएफपी/एनआईटी नंबर	
जीईएम जीएआर और पीटीएस आईडी नंबर	
खरीद के लिए अनुबंध शीर्षक	
खरीद/बोली का तरीका	
प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	
बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	
प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	
तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि	
तकनीकी प्रस्ताव खोलना	बाद में वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। केवल उन्हीं परामर्शदाताओं/बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे जो तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद उत्तरदायी, पात्र और योग्य पाए जाएंगे।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने/खोलने का स्थान, जैसा लागू हो	
खरीद का प्रकार	परामर्श सेवाएँ
ईएमडी/बोली सुरक्षा	लागू नहीं। हालाँकि, धारा 3 में निर्दिष्ट अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।
निष्पादन सुरक्षा	अनुबंध के तहत सेवाओं की अनुमानित लागत का 3%
बोली की वैधता अवधि	तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि से 120 दिन
परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए समय अवधि	नियुक्ति अनुबंध की प्रभावी तिथि से 4 (चार) वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसमें अतिरिक्त 2 (दो) वर्ष या परियोजना/कार्य पूरा होने तक, जो भी पहले हो, वार्षिक विस्तार का प्रावधान होगा।
पत्राचार के लिए पता	
ई-खरीद/ई-टेंडरिंग **सपोर्ट टीम** का **संपर्क विवरण:**	

धारा - 2: पात्रता आवश्यकताएँ

तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन आईटीसी 21 के अनुसार किया जाएगा, अन्य बातों के अलावा, नीचे निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया और परामर्शदाताओं के अनुपालन के आधार पर:

1. केवल पेशेवर परामर्शदाता, जो परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में कानूनी रूप से स्थापित हैं, बोली लगाने के लिए पात्र हैं (आरएफपी के जवाब में अपना प्रस्ताव जमा करें)। परामर्शदाताओं को कंपनी अधिनियम, 1956, 2013 या एलएलपी अधिनियम के तहत भारत में एक पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए *(पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जीएसटी पंजीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य, आयकर पंजीकरण संख्या (पैन) तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)*

2. आईटीसी 1(के) में परिभाषित संयुक्त उद्यम बोली लगाने के लिए पात्र नहीं हैं।

3. उपरोक्त खंड 1 के अपवाद के रूप में:

   क. **प्रतिबंध:** प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि पर डिस्कॉम या इसकी किसी अनुषंगी कंपनी / सीपीएसई या इसकी किसी अनुषंगी कंपनी / भारत सरकार / विद्युत मंत्रालय / किसी नियामक प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए परामर्शदाता बोली लगाने के लिए पात्र नहीं हैं।

   ख. **निषेध:** किसी देश की फर्में और व्यक्ति या देश में निर्मित/उत्पादित सामान/सेवाएं अयोग्य होंगी यदि ऐसा इस धारा **2** में दर्शाया गया है और**,** यदि कानून या आधिकारिक नियमों के मामले में**,** भारत सरकार उस देश के साथ वाणिज्यिक संबंधों पर रोक लगाती है।

   ग. **सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए प्रतिबंध**: सेवारत सरकारी अधिकारी और सिविल सेवक के प्रस्ताव में विशेषज्ञों**,** व्यक्तियों या विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों के रूप में शामिल होने के पात्र नहीं हैं**,** जब तक कि:

      (i) सरकारी अधिकारी या सिविल सेवक की सेवाएँ अद्‌वितीय और असाधारण प्रकृति की हैं, या परियोजना कार्यान्वयन के लिए उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है; और

      (ii) उनकी नियुक्ति से हितों का टकराव नहीं होगा, जिसमें रोजगार या सरकार के अन्य कानूनों, विनियमों या नीतियों के साथ कोई टकराव शामिल है।

4. बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए, परामर्शदाताओं को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा वे पात्र नहीं होंगे:

जीएफआर** 2017 **के नियम** 144 (xi) **के तहत प्रतिबंध: भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध

I. *भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता केवल तभी बोली लगाने के लिए पात्र होगा यदि बोली लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।*

II. *"बोलीदाता" (विक्रेता / सेवा प्रदाता) का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य (जो कि कई व्यक्तियों, या फर्मों या कंपनियों का एक संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है जो इनमें से किसी में नहीं आता है, यहां पहले बताए गए बोलीदाताओं के विवरण, जिसमें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किसी एजेंसी शाखा या कार्यालय भी शामिल है।*

III. *इस आदेश/नियम के प्रयोजन के लिए "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले" का अर्थ है: -*

क. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कंपनी; या

ख. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कंपनी की अनुषंगी कंपनी; या

ग. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कंपनी के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित कंपनी; या

घ. एक कंपनी जिसका लाभकारी मालिक ऐसे देश में स्थित है; या

ङ. ऐसी कंपनी का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या

च. एक नेचुरल व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या

छ. एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है

अनुवाद किया जा रहा है।